राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः प.6(21)प्र.सु./अनु.3/2019 जयपुर, दिनांकः 04-06-2019

आदेश

सचिव महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 16.10.2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल, प्रभावी क्रियान्वयन, पूर्ण मार्ग-दर्शन देने एवं निगरानी करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा-निर्देश अक्टूबर, 2018 के बिन्दु संख्या 14 अनुबंध Vii (ख) के अनुसार राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन एतद द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.स.	समिति में शामिल सदस्य	पद
1	मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2	मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सह अध्यक्ष
3	निम्नलिखित विभागों के Secretary Incharge (अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव) : i. आयोजना विभाग। ii. पंचायती राज विभाग। iii. महिला और बाल विकास विभाग। iv. शिक्षा विभाग। v. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। vi. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग। vii. गृह विभाग। viii. सार्वजनिक निर्माण विभाग। ix. जल संसाधन विभाग। x. उर्जा विभाग। xi. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। xii. अन्य संबंधित विभाग यदि कोई हो।	सदस्य
4	राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का प्रधान	सदस्य
5	राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि।	सदस्य
6	राज्य में दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि।	सदस्य
7	अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम-से-कम छह विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता।	सदस्य
8	राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि।	सदस्य
9	ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार से एक-एक प्रतिनिधि।	सदस्य
10	प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित जिलों के चिन्हित ग्रामों के सर्वांगिण विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य प्रवर्तित संचालित योजनाओं को लागू करने एवं उनके पर्यवेक्षण, मार्ग-दर्शन एवं निगरानी के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। योजना के क्रियान्वयन मे आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सलाह एवं मार्ग-दर्शन प्रदान करने हेतु प्रत्येक तिमाही में एक बार परन्तु वर्ष में कम से कम दो बार बैठकों का आयोजन करेंगी। समिति का कार्य काल स्थायी होगा। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से

5/6/19

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.6(21)प्र.सु./अनु.3/2019 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामिण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, संबंधित अति. मुख्य सचिव,.....विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, संबंधित प्रमुख शासन सचिव,.....विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, संबंधित शासन सचिव,.....विभाग राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयुपर।
10. जिला कलक्टर, (डुंगरपुर एवं प्रतापगढ को छोडकर) समस्त राजस्थान।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. अति निदेशक, एससीएसपी, मुख्यालय।
14. अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यालय।
15. ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार से एक-एक प्रतिनिधि।
16. प्रतिनिधि संबंधित संस्था।
17. अन्य विभाग/आयोग के प्रतिनिधि।
18. राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि।
19. अनुसूचित जाति कल्याण क्षेत्र के विशेषज्ञ/कार्यकर्ता।
20. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं.8ग()एससीएसपी/पीएमएजीवाई/सान्याअवि/2019/9433.

5/6/19

(के.के.खण्डेलवाल)
सहायक शासन सचिव